



2026:AHC:44340

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 2573 of 2026

Sim Lipic Bhuvnendra Singh

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Mohammad Umar Khan
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 33

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Shri Mohammad Umar Khan, learned counsel for the petitioner and Shri Jitendra Prasad, learned Standing Counsel for the State-respondents.

2. The case of the writ petitioner is that writ petitioner by posted as Sub-Inspector (Lipic) was issued a show cause notice dated 17.10.2025 alleging commission of misconduct and drawing of the proceeding under Rule 14(2) of the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991 to which the writ petitioner tendered his reply on 23.11.2025. However, now impugned order has been passed by the respondent no.2. i.e. Commandant 43 Batalion PAC Etah District Etah on 20.01.2026 rejecting the claim of the writ petitioner questioning the said order the present writ petition has been preferred.

3. Learned counsel for the petitioner submits that once the show cause notice came to be issued which could reply then the contention so raised in reply to the show cause notice ought to have been considered which has not been considered. Thus, impugned order cannot be sustained.

4. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record carefully

5. A show cause notice dated 17.10.2025 reads as under:-

- कारण बताओ नोटिस:-

एस०आई०एम० भुवनेन्द्र सिंह

द्वारा:- अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन बरेली।

जब आप वर्ष 2011 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तद्समय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का एचआबी न.-729, दिनांक 19.11.2011 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रुपया-5,67,679/ रु की वसूली उत्पन्न हुयी जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने

पत्र संख्या ज-136/2025, दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 09.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का दोषी अंकित किया गया है।

अतः आप इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे क्यो न उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली -1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रुपया-5.67.679/- वसूली की जाये।

वर्ष-2011

जब आप वर्ष 2011 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तदसमय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31. 12.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का एचआबी न.-729, दिनांक 19.11.2011 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रुपया-5,67,679/ रु की वसूली उत्पन्न हुयी जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने पत्र संख्या ज-136/2025, दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी/लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 09.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का दोषी अंकित किया गया है।

यदि आपका लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तो आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको आरोप सहर्ष स्वीकार है और आपके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किये बिना ही एकपक्षीय अन्तिम आदेश पारित कर दिया जायेगा। यदि आप इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करना चाहते हैं तो निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अलग से कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण मे करायी गयी जाँच की छाया प्रति नोटिस के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:जाँच की प्रति।

पत्र संख्या:द-32/2025

दिनांक: 17.10.2025

सेनानायक
43वीं वाहिनी पीएसी,
एटा।

6. The writ petitioner tendered his reply on 23.11.2025.

सेवा मे,
श्रीमान सेनानायक, महोदय
43वीं वाहिनी पीएसी
एटा।।

विषय- आपके कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक-17.10.2025 के सम्वन्ध मे स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के सम्वन्ध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी भुवनेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक (लिपिक) जिसे कि आप इस स्पष्टीकरण में निवेदन कर्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, श्रीमान जी के समक्ष इस स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करते हुये निवेदन करता है कि उसके मामले में महोदय के द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक-17.10.20:5 को निरस्त करते हुये प्रार्थी को क्षमादान प्रदान करने की कृपा करे।

यह कि महोदय ने निम्न आरोप के सम्बन्ध में प्रार्थी से 5,67,679/-00 (पाँच लाख तेरह हजार एक सौ तिरानवे रुपये) की रिकवरी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

2011

"जब आप वर्ष-2011 में पधान लिपिक शाखा, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तदसमय आपवः द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का एचओबी नं-729 दिनांक 19.11.2021 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रूपया-5,67,679/-00 की बसूली उत्पन्न हुयी जिसके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपः पत्र संख्या-ज-136/2025, दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रा म्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी / लिपि से बसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अनेकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 09.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का दोषी अंकित किय गया है।

(1) निवेदन है कि प्रार्थी के मामले में प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष क्षमा प्राप्ति की प्रवल आशा के साथ निम्न आधारों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा है। जिसका अवलोकन कर प्रार्थी को न्याय प्रदान करने की कृपा करे।

2- यह है कि कारण बताओ नोटिस के माध्यम से लगाया गया आरोप प्रार्थी को मान्य नहीं है इस सम्बन्ध में प्र तेवाद स्वरूप स्पष्ट करना है कि प्रार्थी की नियुक्ति सेनानायक, कार्यालय 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में दिनांक 10.01.2007 से दिनांक 23.12.2011 तक रही है। दिनांक 25.07.2007 से 01.11.2010 तक चरित्र पंजिका लिपिक प्रथम के पद पर तथा दिनांक 12.11. 2010 से 25.04.2011 तक पत्रावली लिपिक के पद पर नियुक्त रहा था। उसके उपरान्त दिनांक 26.04.2011 को पुनः चरित्र पंजिका लिपिक प्रथम का कार्य दिया गया। माह दिसम्बर 2011 में प्रार्थी का स्थानान्तरण आगरा परिक्षेत्र आगरा होने के कारण प्रार्थी को दिनांक 23.12.2011 को कार्यमुक्त कर दिया गया था उक्त तैनाती अवधि में प्रार्थी द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा लगन ईमानदारी से किया गया है। वह अपने पद के कर्तव्यों को भली प्रकार से समझता है उसव द्वारा पैसा कोई कृत्य आचरण नहीं किया गया कि जिसमें उसका व उसके विभाग की छवि धूमिल होती हो अथवा किसी योग्य कर्मचारी / अधिकारी का वेतन त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्धारण कर लाभ प्रदान कराये जाने में उसकी संलिप्तता होती है।

3- यह है कि कारण बताओ नोटिस के साथ प्रारम्भिक जाँच आख्या की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें जाँच अधिकारी श्री निशांक शर्मा, सहायक सेनानायक, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 09.10.2025 को तैयार की गयी है का अवलोकन किये जाने से स्वतः स्पष्ट है कि प्रारम्भिक जाँच सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का वेतन त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्धारण के प्रकरण की सत्यता परख के उद्देश्य से प्रारम्भिक जाँच कार्यवाही प्रचलित की गयी थी न कि प्रार्थी के विरुद्ध। क्योंकि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह जो कि भर्ती के दिन क से जनपद मथुरा स्थानान्तरण पर जाने

तक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त रहे हैं। परन्तु जनपद मथुरा द्वारा सेव: नेवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की रूपया-5.67.679/-00 की बसूली निकाली गयी है इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या में कही भी यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है कि उक्त घनराशि की बसूली अपचारी कर्मचारी से की जाये और न ही सम्पूर्ण जाँच में जाँच अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह से यह व्यान नहीं लिया गया है। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

4- सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह द्वारा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में हुए सम्मेलन में खड़े होकर अपना वेतन संशोधन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपने प्रार्थना पत्र के साथ सिविल रिट याचिका संख्या-56845/2011 सुनील कुमार दुव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 28.09.2011 के कम में प्रशिक्षण अवधि जोड़कर द्वितीय पदोन्नति दिये जाने का निर्णय पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ग्रह (पुलिस) अनुभाग -2 उ०प्र० शासन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-रिट-1634/06-02-2011 -1600(5)/11 दिनांक 21.07.2011 के द्वारा दिनांक 08.06.1998 से पूर्व एवं 17.09.2022 से 02.12.2008 तक की अवधि में प्रशिक्षण पाये आरक्षियों को प्रशिक्षण अवधि को उनके सेवाकाल में जोड़ने एवं तदनुसार उन्हें स्तरोन्नयन (एसीपी) अनुमन्य किये जाने हेतु इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है कि उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सुविधा जो उन्हें अबतक अनुमन्य नहीं है प्रदान की जायेगी अतः उक्त याचिका में सम्मिलित याचीगणों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2011 पर पारित शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.07.2011 में दिये गये निर्देशानुसार वेतन भर्ती के दिनांक से संशोधित कराये जाने का अनुरोध किया गया था। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा शासनादेश संख्या-वे०आ-2-1315/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08.12.2008 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति की गयी, उक्त शासनादेश के संलग्नक-02 के बिन्दु (ब) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 (9300-34800 रुपये) में सीधी भर्ती के लिये ग्रेड वेतन 4200 वेतन बैण्ड में वेतन 9300 कुल रूपया 13500 अंकित किया गया है जिसकी छायाप्रति अपने बयान अंकित कराते समय जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जो जाँच पत्रावली पर उपलब्ध है। जिनका मा० महोदय द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। महोदय उक्त शासनादेश के अनुसार वेतन रूपया 13500 सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये है न कि रैंकर कर्मचारियों के लिये। महोदय सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह वर्ष 2007 का मु०आ०वि०श्रे० के कमी थे न कि सीधी भर्ती के इस कारण इनको ग्रेड वेतन 4200 वेतन बैण्ड में रूपया-14430/- ही देय था इसी आधार पर इनको ग्रेड वेतन रूपया-4200/-वेतन बैण्ड में रूपया-14430/- निर्धारित / संशोधित किया गया है और तत्सम इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रपत्रों का जाँच अधिकारी द्वारा गहनता से अवलोकन नहीं किया गया है और जाँच अधिकारी द्वारा स्टीरियो टाइप की जाँच कर जाँच आख्या महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो उक्त जाँच का कोई आधार नहीं है इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

5- यह है कि प्रार्थी के द्वारा तत्समय पुलिस मुख्यालय से आयी सम्प्रेक्षा टोली को भी सीधी भर्ती के नियुक्त प्लाटून कमाण्डरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 4200/- वेतन बैण्ड में वेतन 9300 में रूपया-14430/- निर्धारित किया गया था। जिसके सम्बन्ध पुलिस मुख्यालय से आयी सम्प्रेक्षा टोली द्वारा चैक कर रूपया-13500/दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसको तत्समय रू०-14430/- के स्थान पर रूपया-13500/-निर्धारित कराया गया, और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि रूपया-13500/- सीधीभर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय होगा, न कि रैंकर कर्मियों के लिये, और कहा कि रैंकर

कर्मियों के लिये रूप्पा-14430/- ही देय होगा मंख्य आरक्षी सीधी भर्ती का पद न होने के बजय से तत्समय सम्प्रेक्षा टोली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त कर्मी को तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही दिनांक 01.10.2008 को रूप्पा-14430/- निर्धारित किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का वेतन निर्धारित / संशोधित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- यह है कि जाँच अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर कि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के द्वारा सम्मेलन में खड़े होकर अना वेतन संशोधित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गयाथा क्या व प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा सकते है इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा व्याना में अंकित कराया गया कि तत्समय सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र इनकी चरित्र पंजिका में मेरे स्वयं के द्वारा चस्पा किया गया था परन्तु जाँच के दौरान अपने वयान अंकित कराते समय उक्त प्रार्थना पत्र इनकी चरित्र पंजिका में चस्पा नहीं मिला है।

7- यह है कि जाँच अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर कि पुलिस मुख्यालय से आयी सम्प्रेक्षा टोली द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की चरित्र पंजिका को चैक कर बताया गया कि रूप्पा-13500/- सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित संरचना में देय होगा न कि रैंकर कर्मियों लिये और कहा कि रैंकर कर्मियों के लये रूप्पा-14430/- ही देय होगा इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा अपने वयानों में अंकित कराया गया कि पुलिस मुख्यालय से आयी सम्प्रेक्षा टोली द्वारा अपने समक्ष ही सीभी भर्ती के प्लाटून कमाण्डर को प्रदान किया गया रू० 14430/- पर वेतन निर्धारण को तत्समय ही 14430/- के स्थान पर रूप्पा-13500/- संशोधित कराया गया उसी समय उक्त सभी उक्त सभी सीधी भर्ती के प्लाटून कमाण्डरों का वेतन रूप्पा-14430/- के स्थान पर रूप्पा-13500/- निर्धारित / संशोधित किया गया और उनके द्वारा ही अगवत कराया गया कि रूप्पा -13500/- सीधी भर्ती के कर्मियों के लिये पुनरीक्षित संरचना में देय होगा, नकि रैंकर कर्मियों के लिये और कहा कि रैंकर कर्मियों के लिये रूप्पा-14430/- ही देय होगा। क्यो कि मुख्य आरक्षी सीधी भर्ती का पद नहीं है और तत्समय इसी बजय से सम्प्रेक्षा टोली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त कर्मी को दिनांक 01.10.2008 को रूप्पा-14430/- ही प्रदान किया गया। महोदय लिखितरूप देने का प्रश्न है तो सम्प्रेक्षा टोली द्वारा उसी दिनांक को तत्काल अपने समक्ष ही संशोधित कराया गया था जो तत्समय प्रचलित रही आडिट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका महोदय द्वारा अवलोकन किया जा सका है। महोदय सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का वेतन निर्धारण पुलिस मुख्यालय से आयी आडिट पार्टी के निर्देशन मे ही निर्धारित / संशोधित किया गया जो मेरी जानकारी में बिल्कुल सही निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

8- यह है कि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का वेतन निर्धारण अपचारी कर्मचारी द्वारा अपनी मर्जी से नहीं किया गया था सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साथ शासनादेश दिनांकित 08.12.2008 तथा शासनादेश दिनांकित 21.07.2011 में दिये गये निहित निर्देशानुसार सिविल रिट याचिका संख्या-56845/2011 सुनील कुमार दुव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 28.09.2011 के अनुपालन में सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी उदयवीर सिंह के सम्मेलन में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर एव इनकी सहमति पर ही इनका वेतन निर्धारण आलेख तैयार कर तत्कालीन श्रीमान सेनानायक 43वीं वाहिनी पीएसी जनपद एटा के द्वारा नोटशीट पर आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही उनके आदेश के अनुपालन में आलेख तैयार कर और तत्समय वाहिनी स्तर पर कठित कमेटी के हस्ताक्षर कराकर उनके समक्ष रखा गया था जो तत्समय प्रचलित पत्रावली पर उपलब्ध है तब उनके द्वारा आलेख पर अपने हस्ताक्षर बनाये गये। क्यो कि डीडीओ अधिकारी स्वयं तत्कालीन सेनानायक महोदय ही थे न कि प्रार्थी, इस प्रकार उक्त धनराशि की बसूली तत्समय नियुक्त रहे डीडीओ अधिकारी से ही की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि रू०-5,67,679/-00 का भुगतान

विभाग द्वारा अपचारी कर्मचारी को नहीं किया गया है तो किस नियम के तहत उक्त धनराशि की बसूली अपचारी कर्मचारी से किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये इस प्रकार अपचारी कर्मचारी के साथ अन्याय किया जा रहा है यदि उक्त धनराशि अपचारी कर्मचारी को भुगतान की जाती तो उक्त धनराशि की बसूली अपचारी कर्मचारी से ही किया जाना ठीक था। परन्तु उक्त धनराशि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के द्वारा ही प्राप्त की गयी है तो सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह से ही बसूली किया जाये न कि अपचारी कर्मचारी से। उक्त धनराशि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के द्वारा प्राप्त की गयी है इस सम्बन्ध में महोदय से अनुरोध है कि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के द्वारा प्राप्त की गयी है, उक्त धनराशि रु0 5,67,679/-00 का अपचारी कर्मचारी को दिलबाने की कृपा की जाये ताकि उक्त धनराशि को अपचारी कर्मचारी सरकारी खजाने में जमा कर सके। यदि उक्त धनराशि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह से अपचारी कर्मचारी को नहीं दिलायी जा सकती तो अपचारी कर्मचारी से उक्त धनराशि रु0 5,67,679/- की बसूली किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि अपचारी कर्मचारी के द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है (उक्त धनराशि ले कोई और भरे कोई यह कहीं का नियम है) इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है

9- यह है कि जनपद मथुरा से सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि रु0 5,67,679/-00 की रिकवरी हेतु उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14 (2) की सपठित नियम 4 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि की बसूली किये जाने का उल्लेख उक्त नियमावली में कहीं भी उल्लिखित नहीं है पर आपके कार्यालय स्तर से उक्त नियमावली का उल्लेख किया गया है जो नियमानुसार गलत है जिसके तहत बसूली किया जाना उक्त नियमावली में नहीं आता है इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

10- यह है कि 43वीं वाहिनी पीएसी एटा की नियुक्ति के दौरान इनका वेतन त्रुटिपूर्ण निर्धारण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिविल रिट याचिका संख्या-56845/2011 सुनील कुमार दुवे व अन्य बनाम उ०प्र० राजय में व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 28.09.2011 के क्रम में प्रशिक्षण अवधि जोड़कर द्वितीय पदोन्नति दिये जाने का निर्णय पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ग्रह (पुलिस) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-रिट-1634/06-02-2011-1600 (5)/11 दिनांक 21.07.2011 के द्वारा शासनादेश जारी हुआ था। शासनादेश की प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था जिस पर सेनानायक महोदय के द्वारा मार्क होने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र सूवेदार सैन्य सहायक के माध्यम से डॉकबही चढाकर अपचारी कर्मचारी को प्राप्त करा गया था जिस पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शासनादेश के अनुपालन में तीन दिवस में कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस आधार पर सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की सहमति एवं के आधार पर ही तत्कालीन सेनानायक, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा द्वारा टीप एवं आज्ञाये पर दिये गये आदेश/निर्देश एवं उनके संज्ञान में लाकर उनकी सहमति प्राप्त करके ही इनका वेतन संशोधित / निर्धारित किये जाने का आलेख तैयार कर उनके समक्ष रखा गया जिस पर उनके द्वारा आलेख का भलीभाँति अवलोकन कर पूर्ण सहमत होकर आदेश पर अपने हस्ताक्षर बनाये गये इस प्रकार अपचारी का इसमें कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

11- यह है कि वर्ष 2011 की घटना के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध वर्ष 2025 में जाँच कराये जाने का कोई औचित्य / आधार नहीं क्योंकि प्रत्येक वर्ष मई व जून के माह में पुलिस मुख्यालय से आडिट पार्टी आती है और पाँच वर्ष के अन्दर जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने रहते हैं उनकी चरित्र पंजिका एवं रिकार्ड का

आडिट विभाग द्वारा अवलोकन / चैक किया जाता है कि कहीं किसी कर्मचारी का वेतन अधिक तो नहीं लगायी गयी है उक्त आडिट विभाग द्वारा पुष्टि की जाती है कि लेकिन अपचारी कर्मचारी 43वीं वाहिनी पीएसी एटा से दिनांक 23.12.2011 को कार्यमुक्त होने के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की 43वीं वाहिनी पीएसी एवं जनपद मथुरा की नियुक्ति सेवानिवृत्ति तक की अवधि में 43वीं वाहिनी पीएसी एटा एवं जनपद मथुरा में नियुक्त रहे चरित्र पंजिका लिपिकों के द्वारा इनकी चरित्र पंजिका का परीक्षण आडिट पार्टी से क्यों नहीं कराया गया जब कि प्रत्येक वर्ष पुलिस मुख्यालय से आडिट पार्टी परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद/इकाई में आती थी तत्समय समय इनकी चरित्र पंजिका का परीक्षण तत्समय नियुक्त रहे चरित्र पंजिका लिपिकों के द्वारा करा दिया जाता तो उक्त धनराशि की बसूली नहीं आती। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

12- यह कि आडिट पार्टी द्वारा आडिट करने हेतु प्रत्येक वर्ष मई एवं जून में पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में आडिट टीम जाती है और पाँच वर्ष की सेवा के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं का अवलोकन एवं वेतन विसंगति आदि का चरित्र पंजिकाओं में परीक्षण किया जाता है। यदि कोई वेतन विसंगति थी तो आडिट पार्टी द्वारा सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह जिस जनपद / इकाई में तैनात थे उस जनपद / इकाई में पुलिस मुख्यालय से आई आडिट विभाग के द्वारा उसकी समय आपत्ति की जाती तथा इस बात का उल्लेख किया जाता कि सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह का हो वेतन निर्धारण किया गया है व गलत है लेकिन 43वीं वाहिनी पीएसी एटा एवं जनपद मथुरा में नियुक्त चरित्र पंजिका लिपिक एवं बड़ेबाबू के द्वारा आडिट पार्टी के समक्ष इनकी चरित्र पंजिका परीक्षण प्रस्तुत न किये जाने के कारण आडिट पार्टी द्वारा इनका वेतन परीक्षण नहीं किया गया। जिसका उत्तरदायित्व वहाँ के चरित्र पंजिका लिपिकों एवं बड़े बाबू का होता है इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

13- यह कि अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर पुलिस कार्यालय जनपद मथुरा द्वारा सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की चरित्र पंजिका के जिस पृष्ठ पर चरित्र वेतन निर्धारण की छायाप्रति अभिलेखीय साक्ष्य में उल्लिखित किया गया है जाँच अधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी के बयान अंकित कराने लिये प्रेषित अग्रसारण पत्र के साथ प्रार्थी को उक्त अभिलेखीय साक्ष्य चरित्र पंजिका के पृष्ठ संख्या पर क्या उल्लिखित किया गया है उसकी छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके कारण प्रार्थी अपना समुचित बचाव नहीं कर सका है इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है

14- यह कि तत्समय जारी किये गये सिविल रिट याचिका संख्या-56845/2011 सुनील कुमार दुवे व अन्य बनाम उ०प्र० राजय में व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 28.09.2011 के क्रम में प्रशिक्षण अवधि जोड़कर द्वितीय पदोन्नति दिये जाने का निर्णय पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ग्रह (पुलिस) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-रिट-1634/08-02-2011 -1600(5)/11 दिनांक 21.07.2011 एवं सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी उदयवीर सिंह के द्वारा प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित उनकी सहमति के आधार पर ही वेतन संशोधित / निर्धारित किया गया है जो तत्समय प्रचलित पत्रावली संख्या पर उपलब्ध है, जिनका अवलोकन महोदय द्वारा किया जा सकता है ताकि विधिक व्यवधान उत्पन्न न हो सके और प्रार्थी के पक्ष में ही महोदय द्वारा निर्णय लिया जा सके इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है

15- यह कि प्रभारी प्रधान लिपिक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा एसआई (एम) आफताब अहमद के द्वारा अपने वयानों में अंकित कराया है कि सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह वर्तमान में जनपद मथुरा में नियुक्त था वहीं से सेवानिवृत्त हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने उक्त कर्मियों के इस वाहिनी में नियुक्ति अवधि में गलत निर्धारित वेतन एचओबी नं०-729 दिनांक 19.11.2011 के सम्बन्ध में जाँच

कराकर अधिक भुगतान की बसूली ₹0 5,67,679/- बसूली आदि की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त कर्मों को इस वाहिनी में नियुक्ति अवधि में एचओबी नं०-729 दिनांक 19.11.2011 के द्वारा गलत वेतन रूप्या-13500/- के स्थान पर ₹0-14430/- दिनांक 01.10.2008 को प्रदान किया गया है के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि उ०प्र० पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-एफसी-सीए (वेतन निर्धारण)-2022 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा 32 बिन्दुओं की चेक लिस्ट उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी प्रति संलग्न है, चैकलिस्ट के बिन्दु संख्या-06 में भी स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.2006 से 08.12.2006 के मध्य जिस तिथि से कर्मों द्वारा पुनरीक्षित वेतन का चयन किया गया जायेगा उस तिथि को कर्मों द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर परिलब्धियों आगणित करके पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जायेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करने की तिथि से पूर्व कर्मों पाँचवे वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन आहरित करेगा। स्पष्ट करना है कि छोटे वेतन मान में ₹0-13500/- (सीधी भर्ती के उप निरीक्षक को ग्रेड पे 4200/- में वेतन देय था। यह व्यवस्था पाँचवे वेतन आयोग में नहीं थी इसके लिये कर्मों को छोटे वेतनमान का 24 वर्ष की सेवा पर कर्मियों देय था यह व्यवस्था पाँचवे वेतन आयोग में नहीं थी। इसके लिये छोटे वेतन मान का विकल्प का चयन करना था। प्रस्तर 10 पर स्पष्ट है कि यदि किसी कर्मों ने छोटे वेतन आयोग का चयन दिनांक 01.01.2006 से किया है तथा उसे दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में आने के बाद 14/24 वर्षों लाभ स्वीकृत है तो भी शासनादेश दिनांक 05.11.2009, 04.05.2010 एवं 05.11.2014 के निर्गत होने की तिथि के 90 दिवस के अन्दर संशोधित विकल्प का चयन कर सकता है इस प्रकार पूर्व में दिये गये वेतन निर्धारणों में विकल्प की स्थिति की समीक्षा कर ली जाये और तदनुसार वेतन निर्धारणों को सही कर लिया जाये। अतः विकल्प का तात्पर्य है यदि कर्मों दिनांक 01.10.1984 का है और छोटे वेतन मान में 24 वर्ष का लाभ का चयन करता है तो उसके 24 वर्ष का लाभ ग्रेड पे 4200/- में दिनांक 01.10.2008 को रूप्या -14430/- देय है किन्तु छोटे वेतनमान में उसे दिनांक 01.01.2006 से 30.09.2008 तक का ऐरियर नहीं दिया जायेगा । यदि दिनांक 01.01.2006 से 30.09.2008 तक का ऐरियर लेता है तो उसके उपरोक्तानुसार भर्ती की तिथि 01.10.1984 से 24वर्ष की सेवा पर प्रदान किये जाने वाले समयमान / प्रोन्नति वेतन में ग्रेड पे 4200/- ₹0 13500/- दिनांक 01.10.2008 को देय होगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के पत्रानुसार उक्त कर्मों द्वारा ऐरियर लिया गया है इस लिये उक्त कर्मों को दिनांक 01.10.2008 को रूप्या 14430/- में प्रदान किया गया वेतन त्रुटि पूर्ण है। प्रभारी प्रधान लिपिक एसआई (एम) आफताब अहमद का यह तर्क मान्य नहीं है, कि क्योंकि सिविल रिट याचिका संख्या-56845/2011 सुनील कुमार दुवे व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 28.09.2011 के कम में प्रशिक्षण अवधि जोड़कर द्वितीय पदोन्नति दिये जाने का निर्णय पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ग्रह (पुलिस) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-रिट-1634/06-02-2011-1600 (5)/11 दिनांक 21.07.2011 के द्वारा शासनादेश जारी हुआ था। शासनादेश की प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था जिस पर सेनानायक महोदय के द्वारा मार्क होने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र सूवेदार सैन्य सहायक के माध्यम से डॉकबही चढ़ाकर अपचारी कर्मचारी को प्राप्त करा गया था जिस पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शासनादेश के अनुपालन में तीन दिवस में कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस आधार पर सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की सहमति एवं के आधार पर ही तत्कालीन सेनानायक, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा द्वारा टीप एवं आज्ञाये पर दिये गये आदेश/निर्देश एवं उनके संज्ञान में लाकर उनकी सहमति प्राप्त करके ही इनका वेतन संशोधित / निर्धारित किये जाने का आलेख तैयार कर उनके समक्ष रखा गया जिस पर उनके द्वारा आलेख का भलीभाँति अवलोकन कर पूर्ण सहमत होकर आदेश पर अपने हस्ताक्षर बनाये गये । प्रभारी प्रधान लिपिक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा के द्वारा अपने बयानों में 32 बिन्दुओं की चेक लिस्ट का उल्लेख किया है साथ ही जनपद मथुरा के पत्र उल्लेख किया गया है परन्तु कारण बताओ नोटिस के साथ 32 बिन्दुओं की चेक लिस्ट एवं जनपद मथुरा द्वारा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में जाँच कराये जाने हेतु जारी किये

गये पत्र की प्रति एवं जनपद मथुरा में गठित कमेटी का आदेश की प्रति एवं गठित कमेटी के द्वारा उक्त मुख्य आरक्षी की चरित्र पंजिका का परीक्षण कर सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह की रूपया -5,67,679/-00 की बसूली निकाली गयी है की रिपोर्ट की प्रति कारण बताओ नोटिस की साथ संलग्न कर प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके कारण प्रार्थी अपना बचाव करने में असमर्थ है। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

16- उल्लेखनीय है कि जनपद मथुरा के द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 840731300 श्री उदयवीर सिंह के देयकों से धनराशि ₹0 5,67,679/- की बसूली कर ली गयी है उसके उपरान्त भी अपचारी से उक्त बसूली किये जाने का कोई औचित्य नहीं है जब कि पहले से ही उक्त मुख्य आरक्षी से बसूली की जा चुकी है इस प्रकार अपचारी से बसूली किया जाना न्याय उचित नहीं है। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है यह कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध प्रचलित प्रारम्भिक जाँच कार्यवाही में प्रथम उसे अपना बचाव पक्ष बयान दिये

17- जाने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक होता है चूँकि प्रार्थी का 43वीं वाहिनी पीएसी एटा आगरा परिक्षेत्र आगरा के जनपद मथुरा में स्थानान्तरण हो चुका था उसके पश्चात प्रार्थी के बाद नियुक्त रहे चरित्र पंजिका लिपिक प्रथम एवं बड़े बाबू के द्वारा पुलिस मुख्यालय से आई सम्प्रेक्षा टोली के समक्ष उक्त मुख्य आरक्षी की चरित्र पंजिका का सम्प्रेक्षा किये जाने हेतु क्यों नहीं रखी गयी प्रारम्भिक जाँच में प्रार्थी के बाद नियुक्त रहे चरित्र पंजिका लिपिक प्रथम एवं बड़े बाबू एवं आडिट पार्टी के अलफिया बयान दर्ज नहीं कराये जाने की स्थिति में उनको आधार बनाकर प्रार्थी को कतई दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। चूँकि काफी समय पूर्व ही प्रार्थी का 43वीं वाहिनी पीएसी एटा से दिनांक 23.12.2011 को ही जनपद मथुरा स्थानान्तरण हो चुका था। इस आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित ₹0 5,67,679/-की बसूली किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित नहीं किये जाने की याचना की जाती है।

18- महोदय यहाँ यह भी उल्लेख करना है उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सात-1640/6-पु-1-2021-3-600 (181/2021) दिनांक 16.08.2021 के बिन्दु संख्या-04 में स्पष्ट अंकित है कि जनपद / इकाई स्तर पर वेतन निर्धारण संशोधन में किसी प्रकार की भ्रान्तियाँ/कठिनाई उत्पन्न होने पर स्थापना अनुभाग (Establishment) पुलिस मुख्यालय से दिशा निदेश प्राप्त करके वाँछित कार्यवाही की जायेगी एवं बिन्दु संख्या-06 में जिन मामलों में कई वर्ष पूर्व से वेतन संशोधन / निर्धारण अपेक्षित हो, उन मामलों में पुलिस मुख्यालय के वित्त नियन्त्रक से पूर्व परामर्श / मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही वेतन संशोधन की कार्यवाही किया जाये जिससे अधिवर्षता आयु पर अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इसी क्रम में एवं बिन्दु संख्या-7 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि वेतन निर्धारण एवं भुगतान हेतु कार्यालयाध्यक्ष भी जिम्मेदार होंगे।

19-उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2/2025/वे०आ०-2-77/दस-2025-ई-प०क०सं०-1846680 दिनांक 10. 02.2025 के प्रस्तर 5 के तृतीय पैरा में स्पष्ट अंकित किया गया है शासनादेश के माध्यम से यह भी निर्देश निर्गत किये गये थे कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जाँच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाय और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जाँच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से बसूली / समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी अधिकारी से उक्त धनराशि की बसूली / समायोजन किया जाये। इस प्रकार तत्समय वाहिनी में नियुक्त रहे तत्कालीन सेनानायक महोदय से उक्त धनराशि की बसूली की जानी चाहिये न कि अपचारी से उक्त निर्देश के बावजूद अपचारी कर्मचारी से बसूली किये जाने का कोई औचित्य नहीं तत्समय जो भी अधिकारी नियुक्त रहे है उनसे ही उक्त बसूली की जाये अपचारी से नहीं। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है

19- यह कि जाँच अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या में कही भी यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि अपचारी

द्वारा उक्त निर्धारित किये गये उक्त वेतन का परीक्षण किसी वित्तनियन्त्रक से कराया गया है। जब कि किसी को दोषी सिद्ध करने से पूर्व उसके द्वारा तत्समय निर्धारित / सशोधित किये गये वेतन निर्धारण को वित्त नियन्त्रक अथवा सम्प्रेक्षा टोली से चैक करवाने उपरान्त उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को दोषी ठहराना चाहिये था , परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा पैसा न कर प्रार्थी को दोषी ठहरा दिया गया है। इस प्रकार कारण बताओ नोटिस संख्या-द-32/2025 दिनांक 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

20-उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि कतिपय जनपद / पीएसी वाहिनियों में रिकवरी आदेश का अंकन आरोपित कमी का चरित्र पंजिका के दण्ड के कालम अंकित करा दिया जा रहा है जो गलत है जबकि रिकवरी दण्ड की श्रेणी में नहीं है। पीएसी पश्चिमी जोन मुरादाबाद के पीएसी बरेली अनुभाग बरेली एट मुरादाबाद में स्थिति सेनानायक, 24 वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के द्वारा महिला उप निरीक्षक (लिपिक) कुलदीप कौर (पीएनओ 970550456) जो वर्तमान में जनपद बरेली में नियुक्त है उनके विरुद्ध अपने आदेश संख्या-द-18/2024 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा उक्त लिपिक को दोषी पाये जाने पर ₹ 500,710-00 की बसूली आदेश निर्गत किया गया है (उदाहरण के लिये उसकी छायाप्रति संलग्न है) उक्त आदेश में उनके द्वारा सम्बन्धित कर्म की चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है मात्र रिकवरी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतः सही है। इसी तरह से रिकवरी आदेश प्रत्येक जनपद / इकाई से जारी होने चाहिये ।

यह है कि प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को दिया गया कारण बताओ नोटिस उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निरस्त किये जाने के योग्य है एवं प्रार्थी दोष मुक्त करने का पात्र है।

वैधानिक आधार:-

1- यह कि मुकदमा पंजाब राज्य बनाम के०के० खन्ना एवं अन्य एस०बी०ई०एस०आर० पृष्ठ-896 सुप्रीम कोर्ट निर्णीत दिनांक 30-11-2000 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विभागीय जॉच की कार्यवाही औचित्य पूर्ण एवं आधार युक्त होना चाहिये तथा आरोपित पक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोप के निष्कर्ष की प्रमाणिकता भी होनी चाहिये साथ ही साथ सम्बन्धित अधिकारी को भी अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये ताकि किसी कर्मचारी का उत्पीडन होने से रोका जा सके,।

2- यह मुकदमा एस०एल० अहलूवालिया बनाम पन्त नगर विश्वविद्यालय एस०एल०आर० 1977 पृष्ठ संख्या -49 मे माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कानून से दुराचरण की कोई पारिभाषा नहीं दी गयी है बल्कि जो कोई कार्य खराब नियत से किया जाये वही दुराचरण है।

03- यह कि प्रार्थी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक न मानकर ₹ 5,67,679/- की बसूली किया जाय जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Khem Chandra v. Union of India* (1958) SLR 1081: AIR 1958 SC 300; *Narayan Mishra V. State Of Orissa*, 1952 (2) SLR 506 में निम्न व्यवस्था दी है कि:- *Natural Justice Requirement of (1) Reasonable opportunity contemplated under Article 311(2) of the constitution primarily consists of :-*

(i) *Opportunity of the concerned officer to deny his guilt and establish his innocence which means he must be told what the charges against him are and the allegation on which such charges are based. The delinquent is entitled to the opportunity to know the material against him.*

(ii) *He must be given reasonable opportunity to have the evidence recorded in his presence and to cross examine the witnesses examined. (iii) He must be given reasonable opportunity to examine himself on other witnesses of his behalf in support of his defence.*

इस प्रकार प्रार्थी को प्रदत्त कारण बताओ नोटिस निरस्त करने योग्य है। 04- यह कि मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम जमील अहमद ए०आई०आर० 1979 पेज नं० 1022 पर

निम्न मत दिया है :-

"There may be negligence in performance of duty or error of judgement in evaluating the developing situation and there may be negligence in discharge of duty would not constitute misconduct. The deficiencies would not constitute misconduct." इस प्रकार यह स्पष्ट है कि "लोप के किसी एक कार्य या निर्णय की एक त्रुटि से दुराचरण नहीं बनता है। कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षा हो सकती है अथवा कोई कमी रह सकती है अथवा बदली हुयी परिस्थितियों के आंकलन में निर्णय की त्रुटि हो सकती है परन्तु यह तब तक दुराचरण नहीं होंगे जब तक कि उसका दुष्परिणाम सीधे उस उपेक्षा से जुड़ा न हो। इस प्रकार प्रार्थी को प्रदत्त कारण बताओ नोटिस निरस्त करने योग्य है।

5- यह कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने शत्रुघ्न सिंह बनाम उ०प्र० सरकार एच०व्ही०डी० 1991/2 प्रपत्र (1) में अवधारित किया है कि यदि किसी कार्य में कर्मचारी की द्वेष भावना का अभाव हो तो तब तक उसे दण्डित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार प्रार्थी को प्रदत्त कारण बताओ नोटिस निरस्त करने योग्य है।

6- यह कि प्रार्थी एक कर्तव्यनिष्ठ उप निरीक्षक (लिपिक) है तथा वह अपने कार्य को अत्यधिक लगन व मेहनत के साथ निष्पादित करता चला आ रहा है प्रार्थी ने अपने राजकीय कार्य के निस्तारण में कभी भी शिथिलता व लापरवाही आदि का परिचय नहीं दिया है बल्कि अपने कार्यों से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट रखा है प्रार्थी ने किसी प्रकार की विभागीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

निवेदन:

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर माननीय महोदय से विनम्र एवं करवद्ध अनुरोध है कि प्रार्थी के स्पष्टीकरण पर उदारता एवं सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रार्थी के मामले में पारित कारण बताओ नोटिस संख्या -द-32/2025 दिनांक- 17.10.2025 को निरस्त करने की कृपा करे, प्रार्थी माननीय महोदय के इस क्षमादान के लिये आजीवन आभारी रहेगा।

दिनांक-नवम्बर 2025

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रार्थी
(भुवनेन्द्र सिंह)
उप निरीक्षक (लिपिक)
कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक
बरेली जोन बरेली।
(पीएनओ 982070086)

7. The impugned order as under:-

आदेश

एस०आई०एम० (लिपिक) भुवनेन्द्र सिंह को उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रुपये

-5,67,679/- वसूली संबंधी कारण बताओ नोटिस समसंख्यक पत्र दिनांक: 17.10.2025 को निर्गत किया गया था।

वर्ष-2011

जब आप वर्ष 2011 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा सद्सगय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 640731300 श्री उदयवीर सिंह का एचआबी न.-729, दिनांक 18.11.2011 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप श्रथया-5,67.679/ रु की वसूली उत्पन्न हुयी जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने पत्र संख्या पा-136/2025, दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी/ लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या में दिनांक 06.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का आपको दोषी अंकित किया गया है। इस प्रकार आपका यह कृत्य घोर लापरवाही का स्पष्ट परिचायक है।

आपको आदेशित / निर्देशित किया गया था कि इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे क्यो न आपसे उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली -1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रुपया -5,67,679/- अधिक भुगतान की धनराशि वसूली कर ली जाये। यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तो आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा। यदि स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको आरोप स्वीकार है और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किये बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

इनके द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक: 25.10.2025 को प्राप्त कर अपने बचाव में दिनांक: 23.11.2025 को अपना लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया है। मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं लिखित स्पष्टीकरण का मनन/अध्ययन किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य/अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके आधार पर उक्त प्रस्तावित दण्ड को विखण्डित कर सके। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है। अर्थात् बलहीन है।

अतः एसआईएम (लिपिक) भुवनेन्द्र सिंह को स्पष्टीकरण असंतोषजनक व बलहीन होने के आधार पर उक्त आरोप में उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली -1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत अधिक भुगतान 50-5,67,679/- की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

पत्र संख्या:द- 32/2025

दिनांक: 20.01.2026

सेनानायक।

43वीं वाहिनी पीएसी,

एटा।

8. A bare look of the same would reveal that the contention raised by learned counsel for the writ petitioner in reply to the show cause notice has not been considered. There

is no consideration upon the contention raised by the writ petitioner which makes order vitiated.

9. Accordingly, the order dated 20.01.2026 passed by respondent no.2 i.e. Commandant 43 Batalion PAC Etah District Etah is set aside.

10. The matter stands remitted back to pass fresh order strictly in accordance with law after putting notice to the writ petitioner within a period of two months from the date of presentation of the certified copy of the order.

11. Accordingly, the writ petition stands **disposed of**.

February 20, 2026
Imtiyaz

(Vikas Budhwar,J.)